

आनलाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

- * पंजीकरण आवेदन शुल्क रू0 1000 के साथ 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित कुल रू0 1180 आनलाइन जमा करना होगा।
- * आनलाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर मुख्यपृष्ठ (Homepage) के लिंक Online Registration For Flats/Houses/Plots पर क्लिक करना होगा।
- * इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के योजनावार पंजीकरण हेतु उपलब्ध लिंक्स में जिस योजना में आवेदन करना है, उस पर क्लिक करना होगा।
- * आवेदक द्वारा सम्बन्धित योजना की समस्त जानकारीयें भली-भाँति पढ़कर Apply Online लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- * तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेब पेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से सम्बन्धित मुख्य जानकारीयें Basic Informations यथा-नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नम्बर, ई-मेल, पैन नम्बर, निवास-पता, आदि विवरण ऑनलाइन अपलोड किये जायेंगे।
- * उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा Submit बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- * Submit करने के उपरान्त आवेदक द्वारा Confirm करने की दशा में उसके अपने ऑनलाइन पंजीकरण से सम्बन्धित विवरण, यूजर आई0डी0/पासवर्ड के साथ-साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा-निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
- * उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक Submit पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण (Step-1) की ई-रसीद (e-Receipt) बटन का प्रिंट आउट भविष्य के संदर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
- * आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथा स्थान अपलोड करना है। संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ अपलोड करना अपेक्षित होगा। आवेदन पत्र में अंकित लिंग (GENDER) कॉलम में पुरुष हेतु 'M' एवं महिला हेतु 'F' भरें। संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति-पत्नी) हेतु 'HW' भरें।
- * आरक्षण की श्रेणी भरने के लिए पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित "आरक्षण" नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

पंजीकरण धनराशि का भुगतान

- * उपरोक्तानुसार आन-लाईन आवेदन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्राप्त होने वाले प्रिन्ट-आउट में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के पश्चात निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी :-
 - ✓ Visit website www.upavp.in & click on link “Online Registration For Flats/Houses/Plots”
 - ✓ Click on concerning scheme’s webpage link.
 - ✓ Click ‘Apply online’ link & provide basic details and property.
 - ✓ Please verify the registration details and click ‘Confirm’ button.
 - ✓ Applicant can pay registration fee instantly, if Payment mode was selected as **Netbanking/Debit/Credit Card**.
 - ✓ If applicant selected ‘e-challan’ payment mode, then ‘e-challan’ will be generated.
 - ✓ Take the printout of ‘e-challan’ and pay registration fee at nearest Bank Branch.
- * उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा आवेदक को Transaction ID प्रदान की जायेगी।